भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में व्यावसायिक थैरापिस्ट ग्रेड-I के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में व्यावसायिक थैरापिस्ट ग्रेड-I के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	व्यावसायिक थैरापिस्ट ग्रेड-I	यह नया पद स्वा. एवं परि. कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3.3.2014 के पत्र संख्या ए 11013/1/2008-पीएच-I के माध्यम से सृजित किया गया था।
2.	पदों की सं.	1* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	एक पद स्वा. एवं परि. कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3.3.2014 के पत्र संख्या ए 11013/1/2008-पीएच-I के माध्यम से सृजित किया गया था।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचीवीय	का.एवं प्रशि. विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रे.वे. 5400 वाले पद को समूह 'क' पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	लेबल 10 (56100-177500 रुपये)	पद ग्रे.वे. रु. 5400 में सृजित किया गया था जिसे सातवें के.वे.आ. पे-मेट्रिक्स के अनुसार प्रतिस्थापित गया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन (पदोन्नति के मामले में)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों पद को चयन पर प्रोन्नति आधार पर भरा जाएगा।
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी : आयु सीमा के निर्धारण की तारीख भारत के आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिले और पांगी उप प्रभाग तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के आवेदकों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.ज्ञा. संख्या एबी-14017/13/2013-स्था. (आर.आर.) के अनुसार लेवल 10 के आयु सीमा 35 वर्ष होगी
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	अनिवार्य 1. व्यावसायिक थेरेपी में मास्टर डिग्री (एमओटी और पुनर्वास, या मन:चिकित्सा विज्ञान या तंत्रिका विज्ञान में विशेषता। 2. किसी सामान्य अस्पताल के	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.ज्ञा. संख्या एबी-14017/13/2013-स्था. (आर.आर.) के अनुसार तकनीकी या विशेषज्ञता प्रकृति के किसी पद के लिए न्यूनतम अर्हता सीआईपी, रांची द्वारा यथा प्रस्तावित संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होगी।

		मन:चिकित्सा अस्पताल, मन:चिकित्सा क्लिनिक, बाल मार्गदर्शनअस्पताल, या मन:चिकित्सा विभाग में व्यावसायिक थेरेपिस्ट के रूप में तीन वर्ष का अनुभव (एमओटी डिग्री प्राप्त करने के बाद) टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है। 2. यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन श्रेणियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले आवेदकों के उपलब्ध होने की संभावना न हो तो इन श्रेणियों के आवेदकों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है।	
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता: हां	व्यावसायिक थेरेपिस्ट का पद, इस पद का पूरक संवर्ग है, किंतु व्यावसायिक थेरेपिस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता तथा 3 वर्ष के अनुभव के रूप में केवल डिप्लोमा और डिग्री आवश्यक है, क्योंकि व्यावसायिक थेरेपिस्ट ग्रेड-1 के लिए शैक्षिक अर्हता मास्टर डिग्री के साथ तीन वर्ष का अनुभव है।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	1 वर्ष	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/ आमेलन दोनों के न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	सीआईपी, रांची में लेबल छह में व्यावसायिक थेरेपिस्ट के 3 पद हैं जो पूरक संवर्ग हैं और उनके न मिलने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन द्वारा या अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए।

11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	प्रोन्नति : लेबल 6 के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले व्यावसायिक थेरेपिस्ट में से प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि)आमेलन : केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो, क. (i) नियमित आधार पर सदर्श पदधारी हैं ; या (ii)वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 (रु. 44900) या समकक्ष के पद पर 3 वर्ष की सेवा रखते हैं। (ख)कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभवधारी हों। टिप्पणी: 1. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. आमेलन का प्रावधान केवल केन्द्र/राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के मामले में लागू होगा।	सीआईपी रांची में लेबल 6 में व्यावसायिक थेरेपिस्ट के तीन पद हैं । पद को प्रोन्नति आधार पर भरा जाना चाहिए किंतु सीआईपी रांची ने इसका प्रस्ताव नहीं किया है । सीआईपी पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है। किंतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार पद लेवल 6 में है लेवल 10 में प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष का अनुभवी अनुभवधारी व्यक्ति प्रोन्नति के पात्र हैं।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/ स्थायीकरण के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (संबंधित, स्वा.से.महा.नि. – सदस्य 3. निदेशक (संबंधित), स्वा.से.महा.नि. – सदस्य	प्रोन्नित एवं स्थायीकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति और डीसीसी होना अनिवार्य है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है। ।